**भारत सरकार**

**इस्पात मंत्रालय**

**लोक सभा**

**तारांकित प्रश्न संख्या *281**

**23 मार्च, 2022 को उत्तर के लिए**

**राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड**

***281. श्री राम मोहन नायडू किंजरापु:**
**श्री केसिनेनी श्रीनिवास:**

क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा (च)(चार) के अनुसार विशाखापट्टनम स्थित राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड (आरआईएनएल) के लिए 20,000 एकड़ उर्वर कृषि भूमि का अनन्य रूप से "सार्वजनिक प्रयोजन" के लिए उपयोग किए जाने हेतु अर्जन किया गया है;

(ख) यदि हाँ, तो क्या उपरोक्त भूमि का अंतरण किसी निजी कंपनी को किया जाना विधिसम्मत है;

(ग) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) उन मापदंडों का ब्यौरा क्या है जिनके अनुसार सरकार की योजना सार्वजनिक प्रयोजन के लिए अर्जित की गई भूमि को किसी निजी कंपनी को अंतरित करने की है;

(ङ) देश में सार्वजनिक क्षेत्र के सभी इस्पात उपक्रमों (पीएसयू) द्वारा गत दस वर्षों के दौरान अर्जित निवल लाभ का ब्यौरा क्या है;

(च) क्या सरकार ने उपरोक्त संयंत्र के लाभ में अत्यधिक वृद्धि होने के उपरांत भी आरआईएनएल को कोई रक्षित लौह अयस्क खान आवंटित नहीं की है; और

(छ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**उत्तर**

**इस्पात मंत्री** **(श्री राम चन्द्र प्रसाद सिंह)**

(क) से (छ): एक विवरण लोकसभा के पटल पर रख दिया गया है।

*****

**"राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड" के संबंध में दिनांक 23/03/2022 को लोक सभा में श्री राम मोहन नायडू किंजरापु और श्री केसिनेनी श्रीनिवास, संसद सदस्यों के तारांकित प्रश्न संख्या *281 के भाग (क) से (छ) के उत्तर में उल्लिखित विवरण।**

(क) से (घ): विशाखापट्टनम इस्पात संयंत्र के लिए भूमि का अधिग्रहण आंध्रप्रदेश सरकार द्वारा विशाखापट्टनम इस्पात परियोजना (भूमि का अधिग्रहण) अधिनियम, 1972 के अनुसार किया गया था जिसमें प्रावधान था कि आंध्रप्रदेश राज्य सरकार परियोजना के प्रयोजनार्थ तथा विशाखापट्टनम इस्पात परियोजना से जुड़े अथवा संबद्ध किसी प्रयोजन के लिए परियोजना क्षेत्र में किसी भूमि का अधिग्रहण कर सकती है।

तद्नुसार, इस्पात मंत्रालय, भारत सरकार के नाम से राज्य सरकार द्वारा इस्पात परियोजना के लिए विभिन्न चरणों में 11794 एकड़ निजी भूमि का अधिग्रहण किया गया और राज्य सरकार की शेष 9798 एकड़ भूमि को भी इस परियोजना के लिए अंतरित कर दिया गया जिससे कुल भूमि 21592 एकड़ हो गई। तत्पश्चात्, वर्ष 1983 में इस्पात मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड (आरआईएनएल/वीएसपी) के पक्ष में एक मुख्तारनामा (पावर ऑफ अटॉर्नी) निष्पादित किया गया। बाद में, 2,588.90 एकड़ भूमि विभिन्न एजेंसियों नामतः रेलवे, गंगावरम पोर्ट लिमिटेड के लिए आंध्र प्रदेश सरकार और एनएचएआई को दी गई। वर्तमान में, 19,703.1 एकड़ भूमि आरआईएनएल-वीएसपी के स्वामित्व में है। आरआईएनएल-वीएसपी में 1992 से इस्पात का उत्पादन जारी है।

आर्थिक कार्य संबंधी मंत्रिमंडल समिति (सीसीईए) ने दिनांक 27.01.2021 को हुई अपनी बैठक में निजीकरण के माध्यम से रणनीतिक विनिवेश के द्वारा आरआईएनएल की अपनी सहायक/संयुक्त कंपनियों में हिस्सेदारी के साथ उस कंपनी में भारत सरकार की शेयरधारिता के 100% विनिवेश के लिए 'सैद्धांतिक' मंजूरी दी है। प्रस्तावित विनिवेश के तहत 'परियोजना का प्रयोजन' परिवर्तित नही होगा और अभी भूमि के अंतरण के तरीके पर कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

आरआईएनएल में भारत सरकार की इक्विटी के रणनीतिक विनिवेश से इष्टतम उपयोग हेतु पूँजी का अंतःप्रवाह, क्षमता का विस्तार, उपयुक्त प्रौद्योगिकी का संचार होगा और प्रबंधन प्रक्रियाएं बेहतर होंगी, जिससे उत्पादन अधिक होगा और उत्पादकता बढ़ेगी तथा रोजगार के प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष अवसरों का विस्तार होगा। इन उपायों से आरआईएनएल की वास्तविक क्षमता का उपयोग करने में मदद मिलेगी, जिससे राष्ट्र के आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान मिलेगा और इससे वृहत्तर सार्वजनिक प्रयोजन सिद्ध होगा।

(ङ) से (छ): केन्द्रीय इस्पात सार्वजनिक उद्यमों नामतः स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (सेल) और राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड (आरआईएनएल) द्वारा विगत 10 वर्षों के दौरान अर्जित निवल लाभ का ब्यौरा **अनुलग्नक** पर है।

इसके अतिरिक्त, विगत 10 वर्षों के दौरान आरआईएनएल के लाभ में बढ़ोत्तरी नहीं हुई है। आरआईएनएल का संचयी घाटा 7122.25 करोड़ रुपये था। तथापि, इस्पात मंत्रालय ने खान मंत्रालय से खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 2015 की धारा 17क(2क) के तहत लौह अयस्क के भंडार के आरक्षण की संस्तुति करके विभिन्न राज्य सरकारों अर्थात ओडिशा, छत्तीसगढ़ और आंध्रप्रदेश को आरआईएनएल के द्वारा किए गए अनुरोध का समर्थन किया है। इस्पात मंत्रालय ने भी आरआईएनएल के पक्ष में एक लौह अयस्क ब्लॉक के आरक्षण हेतु ओडिशा सरकार से अनुरोध किया है। आरआईएनएल ई-नीलामी मार्ग के माध्यम से लौह अयस्क खदानों के आवंटन में भागीदारी भी कर रहा है।

****

**अनुलग्नक**

**सेल और आरआईएनएल के निवल लाभ का ब्यौरा**

| | आरआईएनएल (करोड़ रु. में) | सेल (करोड़ रु. में) |
|---|---|---|
| **2011-12** | 751.46 | 3543 |
| **2012-13** | 352.83 | 2170 |
| **2013-14** | 366.45 | 2616 |
| **2014-15** | 62.38 | 2093 |
| **2015-16** | -1420.64 | -4021 |
| **2016-17** | -1263.16 | -2883 |
| **2017-18** | -1369.01 | -482 |
| **2018-19** | 96.71 | 2179 |
| **2019-20** | -3910.17 | 2022 |
| **2020-21** | -789.10 | 3850 |